प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल,
चकगंजरिया, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-114/2018/2309/71-2-18-के0एस-01/2014, दिनांक 20 अगस्त, 2018 के क्रम में अवगत कराना है कि सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, चकगंजरियाकी स्थापना/निर्माण हेतु अनुमोदित आगणन रू0 854.5145 करोड के सापेक्ष अबतक निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा कुल रू0 552.72385 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	धनराशि (करोड में)
1	1391/71-2-14-के0एस-01/2014 दिनांक 15-7-2014	07.0000
2	38/2015/1128/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 30-3-2015	31.18500
3	1146/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 31-3-2015	06.54885
4	86/2015/3961/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 20-10-2015	210.78050
5	87/2015/3962/71-2-15-के0एस-01/2014 दिनांक 29-10-2015	10.60500
6	121/2016/4079/71-2-16-के0एस-01/2014 दिनांक 13-10-2016	189.3945
7	122/2016/4079/71-2-16-के0एस-01/2014 दिनांक 13-10-2016	10.6050
8	87/2017/5857/71-2-17-के0एस-01/2014 दिनांक 15-12-2017	37.5000
9	88/2017/5885/71-2-17-के0एस-01/2014 दिनांक 15-12-2017	7.8750
10	36/2018/949/71-2-18-के0एस-01/2014 दिनांक 08-3-2018	37.50
11	37/2018/953/71-2-18-के0एस-01/2014 दिनांक 08-3-2018	2.73
12	114/2018/2309/71-2-18-के0एस-01/2014 दिनांक 20-8-2018	01.00
	योग-	552.72385

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से जनपद लखनऊ में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, चकगंजरिया की स्थापना हेतु रू0 10,60,50,000/- (रूपया दसकरोड साठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) कार्यकीगुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नामित कन्सलटेंट मुकेश एण्ड एसोसिएटेड/सक्षम प्राधिकारी कीहोगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/सक्षम प्राधिकारी के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

8) धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-24-कैंसर संस्थान, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018,दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 115/2018/2156(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3) जिलाधिकारी, लखनऊ।
4) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6) वित्तई-3/नियोजनअनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
7) स्थानीयनिधिलेखापरीक्षाविभाग, उ0प्र0।
8) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
9) स्पीड पोस्ट- मै0 मुकेश एण्ड एसोसिएटेड डिवीजन-2, 2/6 रंगनाथर एवेन्यू, पेरूमा मलाई मेन रोड, नारासाथीपट्टी, सलीम- 636006 (तमिलनाडू)
10) स्पीड पोस्ट- मै0 आर्कोम, सी 28, सेक्टर-8, नोएडा-201301
11) मेसर्स शापूरजी पालोनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
12) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in